

Dated: 16 July 2020

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(ADMINISTRATION DEPARTMENT)**

Our Ref: ADMN/04/01/2014, Vol.III


Date: 16 July 2020

Subject: **Information under the Right to Information Act, 2005 - reg.**

C I R C U L A R

RTI applications are being received through online/off-line modes in the Bureau from the Information Seeker. RTI applications which have been received by off-line mode i.e. by post etc. and reply thereof are to be uploaded on RTI portal. It has been observed that the reply of some applications of RTI (which have been received by off-line mode), have not been uploaded on RTI portal. Accordingly, all CPIOs and FAA are, therefore, requested to upload their RTI application/Appeal (which has been received by off-line mode) alongwith its reply invariably on RTI portal.

2. It is, further, also requested that if there is any change in the name of CPIO and FAA, the same may be intimated to Administration Department with a copy to ITSD indicating Name, Designation, Mobile/Phone No., E-mail etc. of CPIO and FAA for updation on BIS website.



(Vinod Kumar)

DRA & Nodal Officer of the Bureau

Circulated to: All HoDs, CPIOs and FAAs of the Bureau - for kind information and necessary action, please.

भारतीय मानक ब्यूरो
(प्रशासन विभाग)

हमारा संदर्भ: एडमिन/04/01/2014, वाल्यू. III

दिनांक 16 जुलाई 2020

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी के संबंध में

परिपत्र

सूचना जिज्ञासुओं से ब्यूरो में ऑनलाइन/ऑफलाइन तरीकों से आर टी आई आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। आर टी आई आवेदन जो ऑफलाइन तरीके अर्थात् डाक द्वारा इत्यादि से प्राप्त किये गये हैं और उनका उत्तर आर टी आई पोर्टल पर अपलोड करके दिया जाना है। यह देखने में आया है कि आर टी आई के कुछ आवेदन (जो ऑफलाइन तरीके से प्राप्त हुये हैं) के उत्तर आर टी आई पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये हैं। तदनु रूप, सभी सीपीआईओ एवं एफएए से अनुरोध है कि वे अपने उत्तर सहित अपने आर टी आई आवेदन/अपील आर टी आई पोर्टल पर (जो ऑफलाइन तरीके से प्राप्त हुये हैं) को निरपवाद रूप से अपलोड करें।

2. यह भी अनुरोध है कि यदि सीपीआईओ और एफएए के नाम में कोई बदलाव है तो वह बीआईएस वेबसाइट पर अद्यतन हेतु सीपीआईओ और एफएए के नाम, पदनाम, मोबाइल/फोन न. ईमेल इत्यादि दर्शाते हुये आईटीएसडी को एक प्रति भेजते हुये प्रशासन विभाग को सूचित करें।



(विनोद कुमार)

निदेशक (प्रशासन) एवं ब्यूरो के नोडल अधिकारी

परिचालित, सेवा मे: ब्यूरो के सभी विभाग प्रमुख, सीपीआईओ एवं एफएए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।